बिहार राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1957

(बिहार अधिनियम 8, 1957)

(इस अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति 28 नवम्बर, 1957 को मिली और यह अनुमति सर्वप्रथम 28 नवम्बर, 1957 के बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित हुई।)

बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 को संशोधित करने के लिये अधिनियम

भारत–गणराज्य के आठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम 1 – यह अधिनियम बिहार राजभाषा (संशोधन) अधिनियम (बिहार ऑफिशल लैंग्वेज (अमेंडमेंट) ऐक्ट), 1957 कहा जा सकेगा।

2. बिहार अधिनियम 39, 1950 की धारा 1 का संशोधन :– बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 39, 1950) की धारा 1 की उप–धारा (3) के परन्तुकों में ''सात'' शब्द के स्थान पर ''दस'' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

————————